प्रेषक.

जावेद, अपर सिविल. जज (जू०डि०) बांसी, कक्ष सं0–2, सिद्धार्थनगर।

सेवा में,

मा० रजिस्ट्रार जनरल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज।

द्वारा,

मा० जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर।

महोदय.

सादर अवगत कराना है कि मैंने e-services पोर्टल से दिनांक—31. 08.2020 को पासपोर्ट बनवाने हेतु अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए आवेदन किया था, जिसकी आवेदन आई. डी.—946 है। इस आवेदन पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपित्त की गयी और आपित्त में यह निर्देशित किया गया कि आवेदक अपने 4 फोटो तथा शपथ—पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हुए अपने पोर्टल से तथा हार्ड कॉपी में माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया गया है कि 4 फोटो में 1 फोटो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। आपित्त अवलोकनार्थ संलग्न है।

अतः मा० उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में 4 फोटो, शपथ—पत्र व आवेदन पत्र संलग्न कर आवश्क कार्यवाही हेतु महोदय को प्रेषित है।

## ससम्मान्

दिनांक-07.12.2020

संलग्नक:—1— मा० उच्च न्यायालय की आपत्ति।

2- शपथ पत्र (2 पन्ना)।

3- 4 फोटों।

4— पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक—31.08.2020 प्राप्त क्रिक्ट ना (न्यूक्ट

अपर सिविज जज (जू०डि०), बांसी, कक्ष सं0—2, सिद्धार्थनगर, जे0 ओ0 कोड—यू. पी. 3376

475/XV पांच 15-12-20 विकास, तिद्वार्थनगर

Garan.









SINICT JUDGE Siddbarth Mages

Sir.

On the above noted subject, I have to say that Sri Javed, Add. Civil Judge (Jr. Div.), Bansi-Siddharthnagar may kindly be asked to submit his online application with following information/ declarations as per Section 6 (2) of the Passports Act, 1967, on an 'Affidavit' and affidavit should also be sent in original, offline mode separately as well as to intimate about the names of his dependent family members, as on date, which was earlier intimated to all the judicial officer through an e-mail vide Court's letter no. 16044/ Ivf-101/ Admin (A)/ Dated 24.11.2015:-

- (a) that the applicant is a citizen of India;
- (b) that the applicant may not, or is not likely to, engage outside India in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India:
- (c) that the departure of the applicant from India may not, or is not likely to, be detrimental to the security of India;
- (d) that the presence of the applicant outside India may not, or is not likely to, prejudice the friendly relations of India with any foreign country;
- (e) that the applicant has, at any time during the period of five years immediately preceding the date of his application, not being convicted by a court in India for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to Imprisonment for not less than two years;
- (f) that proceedings in respect of any offence alleged to have not been committed by the applicant are pending before a criminal court in India;
- (g) that a warrant or summons for the appearance, or a warrant for the arrest, of the applicant has not been issued by a court under any law for the time being in force or that an order prohibiting the departure from India of the applicant has not been made by any such court;
- (h) that the applicant has not been repatriated.
- (I) Whether there is any possibility of arising embarrassing position before Government of U.P. due to his visit to any foreign country?
- (J) Whether issue of 'Identity Certificate' for obtaining a passport was ever refused to him?
- (k) Whether he has visited any foreign country earlier and, if so, intimate details of the same,

Sri Javed may kindly be requested to submit all the required details alongwith four photographs of himself (in hard copy also, separately as the photographs have to be pasted on 'Identity Certificate'), out of which one should be attested/certified by you (The District Judge), at the earliest, so that further necessary action regarding issuance of 'Identity Certificate', for obtaining Passport may be taken.

प्रेषक,

जावेद,

अपर सिविल जज (जू०डि०), बांसी कक्ष संख्या 2, सिद्धार्थनगर।

सेवा में,

रजिस्द्रार जनरल,

मा० उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

सिद्धार्थनगर।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मुझे भविष्य में हज / उमरा (धार्मिक यात्रा) के लिए मक्का / मदीना जाना है, जिसके लिए पासपोर्ट की आवश्यकता है। शपथपत्र व फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

महोदय से अनुरोध है कि पासपोर्ट के ज़िए 'परिचय प्रमाण पत्र' निर्गत करने की कृपा करें। आपकी महती कृपा होगी

## संसम्मान।

भवदीय,

13-119 25-11-2020

(जावेद),

अपर सिविल जज (जू०डि०), बांसी, कक्ष संख्या—2, सिद्धार्थनगर।



**CUTTAR PRADESH** 

OOAE 914648

## शपथ-पत्र

## पासपोर्ट निर्गमन के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए शपथ-पत्र

जावेद पुत्र कलीमुल्लाह निवासी जे-3 जजेस कालोनी, बांसी, सिद्धार्थनगर।

- 1- यह कि आवेदक पर आश्रित परिवार के सदस्य निम्नलिखित है-
- (A) नमरा जावेद (पुत्री)
- (B) आफरीन बानो (पत्नी) मृतक
- (C) कलीमुल्लाह खॉ (पिता)
- 🖟 (D) आमिना खातून (माता)
  - 2- यह कि आवेदक भारत का नागरिक है।
- यह कि आवेदक भारत के बाहर भारत की प्रभुता एवं अखण्डता के प्रतिकूल गतिविधियों में नहीं क्रोगा।
- 4- यह कि आवेदक का भारत से बाहर प्रस्थान भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक नहीं
- 5 कि आवेदक की भारत के बाहर उपस्थिति किसी अन्य देश के साथ भारत के मित्रता पूर्ण सम्बन्धें के प्रतिकूल नहीं होगी।
- 6— यह कि आवेदक आज से 5 वर्ष की कालाविध के दौरान भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा ैनैतिक अक्षमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है।
- ा विच्या कि आवेदक के विरूद्ध भारत में किसी भी दण्ड न्यायालय के समक्ष कोई दाण्डिक कि कार्यवाही लम्बित नहीं है।


कमशः

- 8— यह कि आवेदक के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय ने गिरफ्तारी के लिए कोई समन या वारण्ट नहीं निर्गत किया गया है और न ही किसी न्यायालय द्वारा आवेदक का भारत से प्रस्थान करने का प्रतिषेध किया गया है।
- 9- यह कि आवेदक को विदेश द्वारा कभी वापस नहीं भेजा गया है।
- 10— यह कि आवेदक द्वारा भारत से बाहर यात्रा करने पर उ०प्र० सरकार को लिज्जित होने की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।
- 11— यह कि आवेदक का पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए पहचान प्रमाण पत्र निर्गमन से मना नहीं किया गया है।
- 12— यह कि आवेदक ने कभी भी विदेशी देश की यात्रा नही किया है।

शपथकती,

जावेद

दिनांकः



> Notary (D.H)Q.) Sideharthnagar DISTT, SIDDHARTH NAGAR U.P. (INDIA)







